न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–7, गाजियाबाद।

सिविल अपील सं०–67/2016

मनोज कुमार बनाम रामकिशोर

23–09–2022

रेफरल आर्डर

सिविल अपील पत्रावली पेश हुयी।

पुकार करायी गयी।

अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि पक्षकारो के मध्य सुलह समझौता की सम्भावना है तथा मामला पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित हे। पक्षकारो के मध्य समझौते की सम्भावना को ध्यान मे रखते हुए इस सिविल अपील को पक्षकारो के मध्य सुलह समझौता की वार्ता हेतु मध्यस्थता केन्द्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद को सन्दर्भित किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार यह सिविल अपील पक्षकारो के मध्य सुलह समझौता की वार्ता हेतु मध्यस्थता केन्द्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद को सन्दर्भित किया जाता है।

उभयपक्ष मध्यस्थता केन्द्र के समक्ष दिनांक 30–09–2022 को उपस्थित हो तथा पत्रावली मध्यस्थता केन्द्र की आख्या के साथ दिनांक 29–10–2022 को न्यायालय मे पुनः पेश हो।

(नेत्रपाल सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–7,
गाजियाबाद।